<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>28.05.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर ने फर्जी क्रिप्टोकरेंसी घोटाले, जिसका नाम “इमोलिएंट कॉइन” है और जो मेसर्स द इमोलिएंट कॉइन लिमिटेड, यूके नामक कंपनी के तहत काम कर रहा था; में देहरादून के घाटी नदी घाटी में स्थित 02 बैंक खातों और अचल संपत्तियों में जमा राशि को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। कंपनी का प्रतिनिधित्व नरेश भारत में गुलिया (भारत और विदेश में प्रमोटर) द्वारा किया जाता था।

ईडी ने लद्दाख पुलिस द्वारा लेह, लद्दाख के पुलिस स्टेशन में भादस, 1860 की धारा 420 के तहत अतीउल रहमान मीर (लेह निवासी) और अजय कुमार उर्फ अजय कुमार चौधरी (जम्मू निवासी) के खिलाफ अवैध फर्जी क्रिप्टोकरेंसी स्कीम “इमोलिएंट कॉइन” के मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला है कि नरेश गुलिया नकली क्रिप्टोकरेंसी "इमोलिएंट कॉइन्स" बेचने और चेन (मल्टी-लेवल) मार्केटिंग कारोबार चलाने का असली साजिशकर्ता था। उसने उक्त धोखाधड़ी योजना के लिए एक नकली मोबाइल एप्लिकेशन "इमोलिएंट कॉइन" भी डिजाइन और प्रबंधित किया, जो नरेश गुलिया के नियंत्रण में था। हालांकि, उक्त कंपनी को जानबूझकर 05-03-2019 को बंद कर दिया गया और भंग कर दिया गया। यह योजना नरेश गुलिया ने अजय कुमार चौधरी और अतीउल रहमान मीर के साथ मिलीभगत करके 10 महीने की अवधि के भीतर निवेशक/ग्राहकों के निवेश को दोगुना करने के लिए शुरू की थी। नरेश गुलिया द्वारा लॉक-इन अवधि पूरी होने से पहले जानबूझकर उक्त नकली सिक्के के मूल्य को नियंत्रित और कम किया गया था और उक्त मोबाइल एप्लिकेशन ने अक्टूबर-नवंबर 2019 के महीने में अचानक काम करना बंद कर दिया था। नरेश गुलिया के पास 6.05 करोड़ रुपये के आपराधिक आगम (पीओसी) हैं, (अजय चौधरी से प्राप्त 2.05 करोड़ रुपये और ए.आर. मीर से प्राप्त 4 करोड़ रुपये) जो लेह और जम्मू के निर्दोष निवेशकों/ग्राहकों को धोखा देकर प्राप्त पीओसी के अलावा और कुछ नहीं है।

इससे पहले इस मामले में ईडी ने श्री नरेश गुलिया के आवास से 91 लाख रुपये की राशि जब्त की थी और नरेश गुलिया, अजय कुमार चौधरी और अतीउल रहमान मीर से संबंधित जम्मू, नई दिल्ली और सोनीपत (हरियाणा) में स्थित 11 अचल संपत्तियों को कुर्क किया था, जिनकी कीमत अनंतिम रूप से 3.66 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार इस मामले में अब कुल कुर्की 6 करोड़ रुपये है, इसके अलावा 91 लाख रुपये की जब्ती भी की गई है।

आगे की जांच जारी है।

